मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 08.2015

क्र. एफ 16-19/2015/बी-ग्यारहः मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार में प्लास्टिक एवं कोटेड फिल्म निर्माण परियोजना के विशिष्ट श्रेणी अंतर्गत होने, बड़ी संख्या में रोजगार सृजन तथा वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि. की परियोजना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. **उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना, 2014 अंतर्गत-**
   (i) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** प्रथम 5 वर्षों हेतु 100 प्रतिशत की दर से एवं अगले 5 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की सीमा तक। जीएसटी लागू होने की दशा में वेट एवं सीएसटी की सहायता अनुपातित रूप से देय होगी।
   (ii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल के क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु।
   (iii) **विद्युत शुल्क से छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में किए गए प्रावधान अनुसार विद्युत शुल्क से छूट शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जावे।
   (iv) उद्योग नीति अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. **अन्य सुविधाएं-**
   (i) **विद्युत दर पर छूट-** आदेश प्रभावी होने के दिनांक से 7 वर्षों के लिये रू. 0.75 प्रति यूनिट की दर से प्रचलित विद्युत दर पर छूट दी जावे।
   (ii) औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार में प्रभार्य किये जाने वाले विकास शुल्क को 4 समान अर्धवार्षिक किस्तों पर बिना किसी ब्याज के 2 वर्ष में जमा किये जाने की अनुमति दी जावे।

...../2/

(iii) 132 के.वी. लाईन से एलआई-एलओ सर्किट की ओवर हेड लाईन पर टेपिंग की अनुमति संबंधी कम्पनी की मांग के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा विभाग तकनीकी परीक्षण करते हुये अन्य राज्यों द्वारा इस संबंध में दी जा रही अनुमति के दृष्टिगत कम्पनी की परियोजना को विद्युत प्रदाय हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 08.2015

क्रमांक एफ16-19/2015/बी-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि, भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर ।
8. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर।
9. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि., अनंत प्लाजा, द्वितीय तल, 4/117-2ए, सिविल लाईन, चर्च रोड, आगरा-2, उत्तर प्रदेश ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग